

न्यायालय : न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)
(समक्ष : डी.एस.मण्डलोई)

आपराधिक प्र.क्र.: 865 / 2014

संस्थित दि: 19 / 09 / 2014

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र परसवाड़ा,
जिला बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — अभियोगी

विरुद्ध

सूरज पिता शंकरलाल उइके, उम्र 25 साल, जाति गोंड,
निवासी रैयाराव थाना कुरई जिला सिवनी (म.प्र.)

— — — — — आरोपी

—:: उपापण — आदेश ::—

(आज दिनांक 29 / 09 / 2014 को उपापित किया गया)

- (01) इस आदेश द्वारा प्रकरण के उपापण पर विचार किया जा रहा है ।
- (02) प्रकरण में आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में है ।
- (03) अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादिया लक्ष्मीबाई ने दिनांक 05.01.2014 को आरक्षी केन्द्र परसवाड़ा में इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाई कि उसकी लड़की शान्ति दिनांक 26.06.2013 को शाम के 04:00 बजे उसके मामा महेन्द्रलाल के घर सुरवाही जा रही हूँ बोलकर गई थी। 3-4 दिन बाद उसने उसके भाई महेन्द्रलाल के घर ग्राम सुरवाही जाकर पूछा तो वहां नहीं आई आसपास के रिश्तेदारों से पता किया तो कहीं भी पता नहीं चला। फरियादिया की रिपोर्ट पर से गुम इन्सान कायमी क्रमांक 11/13 दर्ज कर जांच में लिया गया। जांच के दौरान पाया गया कि आरोपी सूरज उइके थाना कुरई जिला सिवनी बहला फुसलाकर ले जाना पाये जाने से आरोपी के विरुद्ध आरक्षी केन्द्र परसवाड़ा में अपराध क्रमांक 3/14 अन्तर्गत धारा 361, 366(क) मामला पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर आवश्यक विवेचना पूर्ण कर आरोपी के विरुद्ध धारा 363, 366, 376 भा.दं.वि. एवं 23, 26 बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 तथा 3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
- (04) उपापण पर उभयपक्षों को सुना गया ।

(05) प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि आरोपी पर धारा 363, 366, 376 भा.दं. वि. एवं 23, 26 बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 तथा 3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 का अपराध परिलक्षित होता है। उक्त धाराएं माननीय सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय होने से प्रकरण को माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय, बालाघाट के न्यायालय में उपार्पित किया जाता है।

(06) आरोपी को धारा 207 द0प्र0सं0 के अनुसार अभियोग-पत्र की नकलें दी गईं।

(07) उपार्पण की सूचना लोक अभियोजक, बालाघाट व मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी महोदय, बालाघाट को भेजी जावे।

(08) प्रकरण में आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध होने से उसका कमीटल वारंट जारी कर माननीय सत्र न्यायालय बालाघाट के समक्ष दिनांक 13.10.2014 को ठीक पूर्वान्ह में 11.00 बजे उपस्थित रखने हेतु जेल अधीक्षक, उपजेल बैहर को निर्देशित किया गया।

आदेश हस्ताक्षरित, दिनांकित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

आदेश मेरे उद्बोधन पर
टंकित किया गया।

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट